संख्या- 09 /2017 /2172 / चार-2016 -5 (बजट)/16

प्रेषक,

डा0 हरिओम

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,

उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,

लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 06 जनवरी ,2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी , फैजाबाद में प्रदर्शन हेतु वीथिका के निर्माण के अवशेष कार्यो को पूर्ण कराये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय अपने पत्र संख्या- 617 /उ0प्र0सं0नि0-5(14)/2013 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद फैजाबाद में गुमनामी बाबा उर्फ भगवान जी से सम्बन्धित सामानों व जस्टिस मुखर्जी आयोग से प्राप्त वस्तुओं को नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी , फैजाबाद में प्रदर्शन हेतु वीथिका के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा धनराशि रू0 150.78 लाख का आगणन उपलब्ध कराया गया। विभागीय मूल्यांकन समिति द्वारा प्राप्त आगणन का परीक्षण करते हुए कार्य की मूल्यांकित लागत धनराशि रू0 95.33 लाख हेतु मूल्यांकित की गयी। मूल्यांकित लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-58/2016/295/चार-2016-17(ते0वि0आ0)/ 2012 दिनांक 10 मार्च, 2016 द्वारा रू0 71.50 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी। , तद्क्रम में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रश्नगत कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 23.83 लाख (रूपया तेइस लाख तिरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति आगणन के क्रमांक-3 से 11 पर उल्लिखित कार्यो हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण /उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त शासनादेश संख्या-58/2016/295/चार-2016-17(ते0वि0आ0)/2012 दिनांक 10 मार्च, 2016 में उल्लिखित अन्य प्रतिबन्ध /शर्ते आदि यथावत रहेगी।

4 - उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या- 92 के लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा,खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-04-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं-12-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

गुमनामी बाबा की सामग्रियों को अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी भवन में प्रदर्शित किया जाना-24-वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5 - वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागो को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)
सचिव।

संख्या - 09 /2017 / 2172 (1)/चार-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4 - मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5 - निदेशक, ग्लोबल कान्स्ट्राक्शन एण्ड कन्सलटेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी, काम्पलेक्स , इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6 - अधिशासी अभियन्ता, निर्माण इकाई, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मिर्जापुर लखनऊ ।
7 - वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8 - निजी सचिव, मा0 संस्कृति मत्री (स्वंतत्र प्रभार) , संस्कृति विभाग।
9 - गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।